

आरसीटी क. 399 / 2022
म0प्र0 राज्य वि0 ओमप्रकाश यादव+1

08.03.2024

प्रकरण आज दिनांक 08.03.2025 को नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक 24 में निराकरण हेतु रखा गया।

प्रकरण में पूर्व दिनांक पर फरियादी एवं आहत की ओर से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया था कि उनका राजीनामा न्यायालय की अनुमति से हो चुका है जिसके संबंध में फरियादी के राजीनामा कथन भी अंकित किये जा चुके हैं।

अतः उपरोक्त राजीनामा के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश यादव उर्फ लड्डू पिता रामाधार यादव उम्र 45 साल एवं अभियुक्त कंचन पति ओमप्रकाश उर्फ लड्डू यादव उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पगढाल शिवपुर जिला नर्मदापुरम को धारा 294, 323, 506-भाग-02 के अपराध से दोष मुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जात है।

अभियुक्तगण के जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर एवं सीआईएस में अपलोड कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(सरोज डेहरिया)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम म.प्र.

सही / -

(नीरज पाल)

सदस्य

खण्डपीठ क.24

सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सही / -

(सरोज डेहरिया)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क. 24

सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)